राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा
"निर्वाचन सदन" प्लाट नं0 2, सैक्टर-17
पंचकूला

Website:www.secharyana.gov.in
Email id: supdtpanda.sec@hry.nic.in

Phone:+91172 258 4810
Fax :+91172 258 5904

आदेश

क्रमांक रा0नि0आ0/2ई-II/2026/1552 दिनांकः 30.10.2026

जिला रेवाड़ी के खण्ड नाहड़ में पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव-2022 तथा उपचुनाव-2023 में संपन्न हुये थे।

2. भारत का संविधान के अनुच्छेद 243K और हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 212 के तहत मिली शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाए गए हरियाणा पंचायती राज चुनाव खर्च(लेखा रखना और प्रस्तुत करना) आदेश, 2024 के प्रावधानों के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को इन आदेशों के पैरा नं0 5, 6 और 7 में बताई गई प्रकिया के अनुसार चुनाव सें संबंधित खर्चो को रोजाना का हिसाब रखना होगा साथ ही चुनाव के नतीजे घोषित होने की तारीख से 30 दिनों के अंदर निर्धारित प्रारुप में अपने चुनाव खर्च का हिसाब उपायुक्त एंव जिला निर्वाचन अधिकारी(पं) या राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा बताए गए किसी अन्य अधिकारी के पास जमा करना होगा। कुल खर्च उस राशि से ज्यादा नहीं होना चाहिए जिसे राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा समय-2 पर निर्धारित किया गया हो।

3. हरियाणा राज्य निर्वाचन आयुक्त ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 243K और हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994(हरियाणा अधिनियम सं0 11, 1994) की धारा 212 के तहत मिली शक्तियों और इस संबंध में अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संबंधित उपायुक्त एंव जिला निर्वाचन अधिकारी(पं) को यादि क्रमांक को (SEC/3E-III/2024/435-64 dated 31.05.2024 के तहत) उन चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के अयोग्य होने के मामलों पर फैसला करने के लिए अधिकृत किया गया है, जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तय समय सीमा और तरीके के अनुसार अपने चुनाव खर्च लेखा में विफल रहे हैं। इस आदेश के पैरा 11 के अनुसार, अयोग्य घोषित करने की शक्ति रखने वाला सक्षम अधिकारी अयोग्यता का आदेश जारी करेगा, यदि वह इस बात से संतुष्ट हैं कि चुनाव उम्मीदवारः-

(1) इस आदेश के तहत जरुरी समय और तरीके से चुनाव खर्च का हिसाब जमा करने में विफल रहा हैं और

(2) तय समय के अंदर चुनाव खर्च का हिसाब जमा ना कर पाने का कोई वैध कारण या औचित्य नहीं हैं, तो संबंधित उपमंडल अधिकारी(ना0) और उपायुक्त एंव जिला निर्वाचन अधिकारी(पं), जैसा भी मामला हो, आधिकारिक राजपत्र, में प्रकाशित आदेश द्वारा उसे अयोग्य घोषित करेंगे और ऐसा व्यक्ति आदेश की तिथि से आगामी 5 साल की अवधि के लिए अयोग्य माना जाएगा।

4. जिला रेवाड़ी के खण्ड नाहड़ में पंच पद के लिए चुनाव लड़ने वाले वे उम्मीदवार जिन्हें उपमंडल अधिकारी(ना0), कोसली ने अपने आदेश पृ0 संख्या 234-42/पंचायत चुनाव, दिनांक 17.07.2026 के तहत अयोग्य घोषित किया हैं, जोकि निम्न प्रकार से हैं-

कम सं0	सर्व श्री/श्रीमती	पिता/पति का नाम	पता	वार्ड सं0
1	सुनीता	सुभाष चंद	अहमदपुर परथल	4
2	मीना कुमारी	संदीप कुमार	बहाला	4
3	सरिता	प्रवीन कुमार	बहाला	9
4	नरेंद्र	मातोराम	बहरामपुर	2
5	राजेश	अजय कुमार	बहरामपुर	4
6	विरेन्द्र कुमार	जगदीश चन्द्र	भकाली II	3
7	निशा	राजेश	भकाली II	7
8	कुलदीप कुमार	बदेप्रकाश	भकाली II	10
9	मनोज कुमार	दलीप सिंह	भकाली II	10
10	सोनिया	बिट्टु	भाकली	10
11	रोहित कुमार	याद राम	गुड़ियानी	5
12	मनीषा देवी	विकम सिंह	गुगोड़	9

13	आजाद सिंह	गोर्धन	जाखला	1
14	उर्मिला	हनेश कुमार	जाखला	2
15	महेश	मोहन लाल	झाल	5
16	प्रवेश कुमारी	छोटे लाल	झाल	9
17	कोमल कुमारी	दिनेश कुमार	झाल	10
18	गुड्डो देवी	जयपाल	झरोदा	4
19	शबनम	विजय पाल	झोलरी	3
20	विजेन्द्र सिंह	सुरजभान	जुड्डी	5
21	जितेन्द्र	विजेन्द्र सिंह	जुड्डी	9
22	सावित्री देवी	विजेय सिंह	जुड्डी	10
23	प्रविन्द्र सिंह	करण सिंह	जुड्डी	11
24	जयपाल	मोजीराम	करोली	1
25	सुनीता देवी	श्री निवास	करोली	2
26	सुषमा	नवीन कुमार	करोली	4
27	रितु	प्रवीन कुमार	करोली	5
28	रेखा देवी	संजू	करोली	7
29	सुरेश कुमार	मांगे राम	करोली	8
30	सतीश कुमार	जगराम	करोली	10
31	शिव कुमार	श्री राम	कोसली	1
32	हंसराज यादव	जय सिंह	कोसली	3
33	सुनिल कुमार	रामकिशन	कोसली	5
34	राजेश कुमार	लीलु राम	कोसली	9
35	रमेश कुमार	मुलचंद	कोसली	10
36	अजीत सिंह	प्रिती सिंह	कोसली	10
37	सीमा देवी	नरेश कुमार	कोसली	11
38	जितेन्द्र कुमार	मनोहर लाल	कोसली	12
39	अंजू	देवेन्द्र यादव	कोसली	13
40	अजय कुमार	ईश्वर सिंह	कोसली	14
41	सौरभ	बजरंग लाल	कोसली	14
42	रोशनी देवी	जोगिन्द्र सिंह	कोसली	15
43	उर्मिला कुमारी	जयवीर सिंह	कोसली	18
44	सुनिता कुमारी	बलवान	कोसली	18
45	सुखवीर सिंह	अतर सिंह	कोसली	19
46	शशि कुमार	सुदर्शन देव यादव	लुखी	1
47	शारदा	सत्यप्रकाश	लुखी	2
48	प्रेमलता	कृष्ण कुमार	लुखी	11
49	सर्वेश देवी	सत्यप्रकाश	लूला अहीर	2
50	जय प्रकाश	रमेश कुमार	लूला अहीर	3
51	ज्योति	महाबीर सिंह	लूला अहीर	4
52	महेश कुमार	सुरेश चंद्र	लूला अहीर	5
53	नितेश	इंद्रपाल	लूला अहीर	7
54	सुमन देवी	संदीप कुमार	लूला अहीर	9
55	रिंकु नाथ	ओमप्रकाश	लूला अहीर	10
56	वेद प्रकाश	श्री फुल सिंह	मुंदरा	5
57	मनोज कुमार	महेन्द्र सिंह	मुंदरा	6
58	सुधीर	जगत सिंह	शादत नगर	1
59	अभिमन्यु	जयपाल सिंह	शादत नगर	4
60	मोनिका	पवन कुमार	सुधराना	1
61	देवेंद्र कुमार	सूबे सिंह	सुधराना	2
62	सुमन देवी	सुरेश कुमार	सुधराना	9
63	दीपक	मुकेश कुमार	सुरखपुर टप्पा कोसली	7
64	सुनीता देवी	पंकज कुमार	सुरहेली	3
65	प्रिया कुमारी	सुरेश कुमार	सुरहेली	3
66	मनीषा यादव	विक्रम	सुरहेली	5
67	एकता यादव	सुधीर कुमार	तुमना	4

68	प्रदीप कुमार	सत्यनारायण	तुमना	5
69	मोनिका	नवीन कुमार	तुमना	9
उपचुनाव 2023 के चुनाव में चुनाव खर्च लेखा जमा ना करवाने वाले पंच				
70	कमला देवी	अरविन्द कुमार	खुर्शीदनगर	4
71	बीमा देवी	सुखपाल	खुर्शीदनगर	8

5. भारत के संविधान के अनुच्छेद 243K, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 और हरियाणा पंचायती राज चुनाव खर्च(लेखा रखना और प्रस्तुत करना) आदेश, 2024 के तहत मिली शक्तियों को प्रयोग करते हुए, मैं देवेन्द्र सिंह कल्याण, राज्य निर्वाचन आयुक्त इस आदेश द्वारा उपमंडल अधिकारी(ना0), कोसली के पृ0 कमांक संख्या 234-42/पंचायत चुनाव, दिनांक 17.07.2026 के तहत अयोग्य घोषित किए गए उपरोक्त उम्मीदवारों के आदेश को हरियाणा सरकार के राजपत्र में अधिसूचित किया जाए। अयोग्यता की अवधि उपमंडल अधिकारी(ना0), कोसली द्वारा पारित आदेश की तिथि(17.07.2026) से आगामी 5 वर्षो तक लागू रहेगी।

दिनांकः 29.10.2026 राज्य निर्वाचन आयुक्त, हरियाणा, पंचकूला।

पृष्ठांकन सं0 रा0नि0आ0/2ई-II/2026/1553-58 दिनांक 30 .10.2026

उपरोक्त की प्रति की निम्न को सूचनार्थ एंव आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैंः-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, विकास एंव पंचायत विभाग हरियाणा, चण्डीगढ़।
2. निदेशक, विकास एंव पंचायत विभाग हरियाणा, चण्डीगढ़।
3. उपायुक्त एंव जिला निर्वाचन अधिकारी(पं), रेवाड़ी।
4. जिला विकास एंव पंचायत अधिकारी, रेवाड़ी।
5. उपमंडल अधिकारी(ना0), कोसली, रेवाड़ी।
6. नियंत्रक, मुद्रण एंव लेखन विभाग, हरियाणा से अनुरोध किया जाता है कि उक्त आदेश को हरियाणा राजपत्र में अधिसूचित करें।

सहायक राज्य निर्वाचन आयुक्त,
राज्य निर्वाचन आयोग हरियाणा, पंचकूला।